

मैनुअल-3

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

नियम/विनियम/अनुदेश आदि का नाम

अभिलेख का प्रकार

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. बिहार सेवा संहिता | कर्मियों के स्थापना से संबंधित |
| 2. सचिवालय अनुदेश | नियमावली एवं योजनाओं से संबंधित |
| 3. बिहार कार्यपालिका नियमावली | मार्गदर्शिका । |
| 4. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली | |
| 5. बिहार कोषागार संहिता | निम्न प्रकार से किसी एक प्रकार को |
| 6. बिहार पेंशन नियमावली | चुने । |
| 7. बिहार वित्तीय नियमावली | (नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, |
| 8. बोर्ड मिसलिनियस रूल्स | अभिलेख, अन्य) |
| 9. ग्रुप बीमा योजना नियमावली | |
| 10. समय-समय पर निर्गत होने वाले राज्यादेश/निदेश | |
| 11. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मार्गदर्शिका | |
| 12. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम मार्गदर्शिका | |
| 13. एस.जी.एस.वाई. मार्गदर्शिका | |
| 14. डी.आर.डी.ए. मार्गदर्शिका | |
| 15. हरियाली मार्गदर्शिका | |
| 16. सांसद योजना कार्यक्रम मार्गदर्शिका | |
| 17. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना मार्गदर्शिका | |
| 18. इन्दिरा आवास योजना मार्गदर्शिका | |
| 19. लोक मांग वसुली नियमावली | |
| 20. लेखा-अंकेक्षण नियमावली | |
| 21. बजट हस्तक | |

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता:- लोक सूचना पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिवालय,
बिहार, पटना ।

दूरभाष:-

फेक्स:-

ई०मेल०:-

अन्य:-

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

- | | | |
|----|--|----------------------------------|
| 1. | धारा 7(1) के तहत | — 2/— (दो) रुपये प्रति पृष्ठ |
| | (क) सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक शुल्क | |
| | (ए-4 एवं ए-3) साईज कागज पर | |
| | (ख) बड़ा साईज कागज पर सूचना | बड़े आकार के कागज पर फोटो |
| | उपलब्ध कराने हेतु | करने में होने वाला वास्तविक व्यय |
| | (ग) नमूना (Sample or Model) | वास्तविक चयन की राशि। |
| | (घ) फ्लॉपी एवं सी.डी. में सूचना | 50/— (पचास) रुपये प्रति फ्लॉपी |
| | उपलब्ध कराने हेतु | अथवा सी.डी. होहगा। |
| 2. | अभिलेखों के निरीक्षण हेतु (धारा 7 | |
| | (5) के तहत) | पहले धंटे के लिए कोई शुल्क नहीं |
| | | होगा। उसके बाद प्रति धंटे और |
| | | उसके अंश के लिए 5/— (पाँच) |
| | | रुपये की दर से शुल्क देय होगा। |